रक्षा लेखा महानियंत्रक
Controller General of Defence Accounts
उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली कैंट 110010
Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt- 110010

सं. प्रशा/XIV/14162/छठवां वेतन आयोग/परिपत्र/जिल्द-V दिनांक: 25/04/2013
AN/XIV/14162/VIth CPC/Circular/Vol-V

सेवा मे,

सभी प्रधान/ रक्षा लेखा नियंत्रक
All PCsDA/CsDA
(Through CGDA Mail Server)

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान -- 01/01/2013 से लागू संशोधित दरें ।

Sub: Payment of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 01/01/2013.

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 25/04/2013 के कार्यालय ज्ञापन सं0 1(2)/2013 संस्था.-II(ख) की प्रति सूचना, मार्गदर्शन एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है ।

A copy of Government of India, Ministry of Finance, Dept. of Expenditure OM No. 1(2)/2013-E-II(B) dated 25/04/2013 on the above subject is forwarded herewith for your information, guidance and necessary action please.

(चित्रा महेन्द्रन)
कृते रक्षा लेखा महानियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. प्रशासन 4 अनुभाग (स्थानीय)
2. लेखा परीक्षा- 1,2,4 (स्थानीय)
3. लेखा परीक्षा (समन्वय) अनुभाग (स्थानीय)
4. ई डी पी सेन्टर (स्थानीय) ---- रक्षा लेखा महानियंत्रक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी केन्द्र, बरार स्क्वायर, दिल्ली छावनी
6. पुस्तकालय अनुभाग (स्थानीय)
7. मास्टर नोट बुक (प्रशासन 14)
8. ऐ.आई.डी.ऐ.ऐ. (सी.बी.), पुणे
9. ऐ.आई.डी.ऐ.ई.ऐ. (एच.क्यू.), कोलकाता

(चित्रा महेन्द्रन)
कृते रक्षा लेखा महानियंत्रक

सं. 1(2)/2013 संस्था.-II (ख)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांकः 25 अप्रैल, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान - 01.01.2013 से लागू संशोधित दरें।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 28 सितंबर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(8)/2012 -संस्था.II(ख) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को 01 जनवरी 2013 से 72 प्रतिशत से 80 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

2. इन आदेशों के अन्तर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय, इस मंत्रालय के दिनांक 29 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(3)/2008-संस्था.-II(ख) के पैरा 3, 4 और 5 में निहित उपबंध लागू रहेंगे।

3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त का भुगतान केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को नकद किया जाएगा।

4. ये आदेश रक्षा सेवा अनुमानों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे तथा यह व्यय रक्षा सेवा अनुमानों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

5. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

(के. आर. शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपिः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक सूची के अनुसार) (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

No. 1(2)/2013-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi.
Dated: 25th April, 2013.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Payment of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 1.1.2013.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 1(8)/2012-E-II (B) dated 28th September, 2012 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 72% to 80% with effect from 1st January, 2013.

2. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M. No. 1(3)/2008-E-II(B) dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3. The additional installment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all Central Government employees.

4. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In regard to Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

5. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

6. The Hindi version of this O.M. is also attached.

(K.R. Sharma)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc., as per standard list, (with usual number of spare copies).